

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 4945/2022

ओम प्रकाश जैन पुत्र मेवा राम जैन, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी 649
12-सी रोड सरदारपुरा जोधपुर राज.

---याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से।

---प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री मोती सिंह

प्रतिवादी(ओं) के लिए: श्री हाथी सिंह जोधा, पीपी.

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश

27/08/2024

1. यहां चुनौती 18.07.2022 को विद्वान अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-1, जोधपुर (जिसे आगे 'एडीएम' कहा जाएगा) द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसके तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत उल्लंघन करने वाले वाहनों को सुपरदारी पर छोड़ने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उनमें मौजूद डीजल को याचिकाकर्ता द्वारा भंडारण ड्रम उपलब्ध कराने पर पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया था।

2. वर्तमान मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि एसएचओ, कुड़ीभगतासनी, जोधपुर (पश्चिम) ने तेल चोरी के संदेह में मोगरा पुल, जोधपुर के पास एक टैंकर नंबर आरजे-19 जीसी-1254 को रोका। निरीक्षण करने पर, एसएचओ ने पाया कि टैंकर में 6,300 लीटर डीजल अवैध रूप से ले जाया जा रहा था।

3. संबंधित टैंकर को 6,300 लीटर डीजल सहित चोरी के आरोप में एसएचओ द्वारा दिनांक 04.06.2021 को जब्त कर लिया गया। टैंकर के मालिक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया।

4. याचिकाकर्ता, जो टैंकर का मालिक है, ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 457 (जिसे आगे “सीआरपीसी” कहा जाएगा) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें टैंकर नंबर आरजे-19 जीसी-1254 और उसमें मौजूद डीजल को सुपर्दगीनामा (हिरासत बांड) पर छोड़ने का अनुरोध किया गया।

5. विद्वान एडीएम ने निम्नलिखित जमानत और बांड शर्तों पर टैंकरों को छोड़ने का आदेश दिया:

⌚ टैंकर आरजे 19 जीए 1052: ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये)

⌚ टैंकर आरजे 19 जीए 0638: ₹4,00,000 (चार लाख रुपये)

⌚ टैंकर आरजे 19 जीसी 1254: ₹8,00,000 (आठ लाख रुपये)

⌚ रिहाई के लिए अन्य शर्तें:

⌚ मामला सुलझने तक वाहनों में कोई बदलाव या बिक्री नहीं की जाएगी।

⌚ आवेदक को आवश्यकता पड़ने पर वाहनों को न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा।

⌚ आवेदक को वाहनों से लगभग 6,300 लीटर कथित अवैध डीजल खाली करने के लिए ड्रम उपलब्ध कराने होंगे।

6. इस प्रकार वाहनों को छोड़ने की अनुमति दी गई, लेकिन उनमें मौजूद डीजल को पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया गया।

7. याचिकाकर्ता के वकील श्री मोती सिंह ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ डीजल का परिवहन कर रहा था, जिसमें वैध बिल और परमिट भी शामिल था, और इसलिए, डीजल को पुलिस द्वारा जब्त या हिरासत में नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने दावा किया कि सभी दस्तावेज सही थे, और टैंकर के खिलाफ कोई वैध मामला नहीं बनता। उन्होंने तर्क दिया कि एडीएम द्वारा आवेदन को खारिज करना कमजोर और अस्थिर आधार पर आधारित था।

8. उन्होंने आगे तर्क दिया कि पुलिस स्टेशन में भंडारण सुविधाओं की कमी याचिकाकर्ता को पेट्रोलियम उत्पाद के लिए कंटेनर उपलब्ध कराने के निर्देश को उचित नहीं ठहरा सकती।

9. उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमे में काफी समय लगेगा और यदि इस अवधि के दौरान डीजल को जब्त करके रखा जाता है, तो यह न केवल खराब/खत्म हो जाएगा बल्कि याचिकाकर्ता को काफी वित्तीय नुकसान पहुंचाने के अलावा पेट्रोलियम उत्पाद की गुणवत्ता को भी प्रभावित करेगा।

10. विद्वान लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि टैंकर से पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी हुई थी और मुकदमे के दौरान इसकी आवश्यकता होगी। हालांकि, अभियोजक यह स्पष्ट या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके कि याचिकाकर्ता, टैंकर के मालिक के रूप में, सीधे आरोपी था या उसके खिलाफ इसी तरह का कोई अन्य विशिष्ट मामला था।

11. पक्षों के वकील को सुनने और रिकॉर्ड की समीक्षा करने के बाद, यह पता चला कि आरोपी के खिलाफ मुख्य आरोप केवल 6,300 लीटर डीजल की कथित चोरी से संबंधित है। टैंकर में लोड किए गए डीजल के संबंध में मिलावट या अन्य कदाचार का कोई आरोप नहीं है।

12. यह देखते हुए कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमे में काफी समय लगेगा, डीजल को लगातार जब्त करने की अनुमति देने से डीजल की गुणवत्ता खराब हो सकती है और खराब हो सकती है। इसके अलावा, पुलिस स्टेशन में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों को संग्रहीत करना जीवन और संपत्ति के लिए गंभीर खतरा है।

13. मैं एडीएम द्वारा अपनाए गए तर्क से खुद को आश्वस्त करने में असमर्थ हूं। अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों की इतनी बड़ी मात्रा को संग्रहीत करने के लिए कंटेनर/ड्रम प्रदान करने का उनका तर्क डीजल को रखने और टैंकर को छोड़ने के निर्णय का खंडन करता है। इतने सारे ड्रमों में भंडारण से डीजल अनावश्यक जोखिमों, जिसमें आग का खतरा भी शामिल है, के संपर्क में आता है, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा कमजोर होती है और विस्फोटक अधिनियम के तहत सुरक्षा नियमों का उल्लंघन होता है। परिणामस्वरूप, यह टैंकरों में संग्रहीत किया जाता है जो वाहनों की सशर्त रिहाई के आदेश के बावजूद पुलिस हिरासत में हैं।

14. उचित दस्तावेज होने के बावजूद टैंकर और डीजल की जब्ती अन्यायपूर्ण है और यह अधिकारियों द्वारा बिना कारण बताए की गई मनमानी कार्रवाई है कि दस्तावेज वैध क्यों नहीं पाए गए।

15. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ डीजल की चोरी से जुड़े कोई प्रत्यक्ष आरोप या सबूत नहीं हैं। जब्ती केवल संदेह के आधार पर प्रतीत होती है, किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल होने का कोई ठोस सबूत नहीं

है। अभियोजन पक्ष भी टैंकर मालिक के रूप में याचिकाकर्ता के खिलाफ सीधे तौर पर कोई मामला साबित करने में विफल रहा है।

16. डीजल/टैंकरों की लंबे समय तक जब्ती याचिकाकर्ता के व्यवसाय संचालन को काफी हद तक बाधित करती है, जिससे वित्तीय नुकसान होता है जो काफी बड़ा हो सकता है। यह देखते हुए कि मुकदमे में वर्षों लग सकते हैं, याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होने का खतरा है, जो कथित अपराध की प्रकृति की तुलना में अनुपातहीन है।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि डीजल एक खराब होने वाली वस्तु है जो समय के साथ खराब हो जाती है, खासकर जब अनुचित तरीके से संग्रहीत की जाती है। टैंकर को पुलिस स्टेशन में लगातार रोके रखने से उसके खराब होने या खराब होने का खतरा रहता है, जिससे न केवल डीजल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि पर्यावरण संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं, जिससे याचिकाकर्ता की देनदारियां और बढ़ जाती हैं।

18. जब्त माल को अपने पास रखने का उद्देश्य अक्सर मुकदमे के लिए साक्ष्य सुरक्षित रखना होता है। हालांकि, यह देखते हुए कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है, और डीजल की अत्यधिक खराब होने वाली प्रकृति को देखते हुए, लगातार जब्ती से साक्ष्य सुरक्षित रखने का कोई व्यावहारिक उद्देश्य पूरा नहीं होता। याचिकाकर्ता द्वारा जमानत और बांड प्रस्तुत करने की इच्छा यह सुनिश्चित करती है कि वाहन और डीजल को अदालत द्वारा जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध कराया जा सकता है।

19. परिणामस्वरूप, धारा 482 सीआरपीसी के तहत याचिका स्वीकार की जाती है। एडीएम द्वारा पारित दिनांक 18.07.2022 के विवादित आदेश को संशोधित करके टैंकर संख्या आरजे-19 जीसी-1254 के रूप में जब्त किए गए टैंकर संख्या आरजे-19 जीसी-1254 को उसमें लदे डीजल सहित छोड़ने का

निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए 30-30 लाख रुपये की दो सॉल्वेंट जमानतें और 15 लाख रुपये का निजी बांड प्रस्तुत करे।

20. यदि टैंकर में डीजल की सही माप और नमूना नहीं लिया गया है, तो जांच अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि यह भारतीय तेल निगम के अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाए।

21. स्थगन आवेदन का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।